

#1183

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पैदाशीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - कलकिया)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 349/25

दापर दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	जान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	<u>कलकिया</u>	<u>89</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक गारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसिलीदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज. भू.श. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कलकिया</u> प.ह. <u>कलकिया</u> खातासं. <u>89</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी <u>पटवारी</u>	हस्ताक्षर निवेद्यार्थी <u>हस्ताक्षर</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>हस्ताक्षर</u>	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिनिधि पालनार्थ -

1. पटवारी पटवार मण्डल

को गेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरासद करेगा

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन